direct the Government to come up to the House before the House goes into the recess and tell us that the opinion of the House will be taken into consideration and the Government will not default. Let us have that direction. The hon. Minister of Defence is here. You kindly make a direction to the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I cannot make a direction. But I can ask whether anybody from the Government wants to react on this. I can say that. *(Interruptions)*. The Government will look into the matter and see that the funds are allocated.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Allocated on time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: the money should be allocated on time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay.

Now, Bill for Introduction. The Navy (Amendment) Bill, 1997.

BILL INTRODUCED

The Navy (Amendment) Bill, 1997

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नौसेना अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री मुलायम सिंह यादव: श्रीमन, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

RE. PROPOSAL TO SET UP NATIONAL JUDICIAL COMMISISON TO REGULATE APPOINTMENTS OF JUDGES

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उप-सभाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आप ने मुझे इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने की अनुमति दी। महोदय, आज देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गए हैं, पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहां की जो हायर जूडिसियरी है, उस की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या सही है या गलत है? महोदय, इस विषय को लेकर एक लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। और तो और विवाद यह भी हो गया है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया वर्तमान में है, उस में विश्वसनीयता का अभाव भी बताया गया है। यह विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय और वर्तमान भारत सरकार के बीच में पैदा हो गया है और अफसोस की बात यह है कि सरकार की सोच यह है कि हायर जूडिसियरी की नियुक्ति का अधिकार केवल एक्जीक्यूटिव को ही मिलना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो एक तरह से बड़ी "एनार्की" आ जाएगी। महोदय, मैं इस बारे में यहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना चाहूंगा:—

"There cannot be an independent judiciary when the power of appointment of superior judges vests in the executive."

यह ब्यू है सर्वोच्च न्यायालय का जबकि सरकार का कहना यह है कि यह बदलना चाहिए और इस के लिए कोई और व्यवस्था लाई जानी चाहिए। अब यह विवाद इतना गंभीर हो गया है कि एक ओर तो सर्वोच्च न्यायालय यह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सारे अधिकार वैसे ही हैं जैसे कि पोप को प्राप्त है। उसे इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और उस के दिए हुए निर्णय पर एक्जीक्यूटिव अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर सकती।

महोदय, अगर जजों की नियुक्त के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की यह अवधारणा है और सरकार की अवधारणा उस के विपरीत है तो क्या होना चाहिए, यह निर्णय सदन को करना चाहिए। महोदय, इतना ही नहीं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अहमदी साहब का कहना है कि:—

"In all methods of judicial selection employed in different countries, the executive has a pre-eminent role to play."

अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह कहते हैं कि:—

"The executive must have a pre-eminent role to play."

और जो एक बहुमत से जजमेंट हुआ है, उसकी वह ताईद नहीं करता, उसका मत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ही यह अधिकार रहे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Narendra Mohan Ji, you cannot make a speech.

श्री नरेन्द्र मोहन: उप-सभाध्यक्ष जी, यह बहुत